



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

कुशीनगर
कप्तानगंज
241890030222779
596243023299

जारी दिनांक: 12/12/2024

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

विपिन कुमार यादव/Vipin Kumar
Yadav

रामहोसिल यादव
सुनीता देवी
वार्ड नं० 13, श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर
रामकोला



कप्तानगंज
कुशीनगर

उत्तर प्रदेश राज्य की अहीर जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विपिन कुमार यादव/Vipin Kumar Yadav पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (वया संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



पद: अनूप कुमार गुप्ता, केन्द्र प्रभारी
स्थान : 10, कप्तानगंज रोड रामकोला, हाटा, रामकोला, हाटा
दिनांक: 15/12/2024
हस्ताक्षर एवं मुहर

KUMAR

D=PERSONAL
S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
कप्तानगंज, कुशीनगर
दिनांक: 12/12/2024

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिगनेचर द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिगनेचर से प्रमाणित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र केवल सूचना के लिए है। इसके अन्तर्गत कोई भी अधिकार नहीं है। अधिकार प्रमाण पत्र के अन्तर्गत प्रमाणित किया जा सकता है।